

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2020/2011/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

मैसर्स सरफेस फिनिशंग एक्यूपमेंट,
ई-100, एम.आई.ए.-द्वितीय, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.एस.राठौड़,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री एन.एस.मेड्डिया,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक :10.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स-प्रथम), जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या-54 / आर.वैट / 2010–2011 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति ₹64,446/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2010 को वाहन संख्या आर.जे. 19-जीबी-9292 को पणिहारी बाईपास के पास वास्ते जांच रोका गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन में लदे माल “परचून माल” के संबंध में दस्तावेज चाहने पर, वाहन चालक ने संबंधित दस्तोवज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किये। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, माल संबंधी दस्तावेजों में अधिसूचित वस्तुओं को परिवहनीत करने के बावजूद, घोषणा प्ररूप वैट-47 संलग्न नहीं पाये जाने के कारण, वाहन चालक के बयान दर्ज किये। जिनमें वाहन चालक ने घोषणा प्ररूप वैट-47 नहीं होना प्रकट किया। फलस्वरूप, प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-47, संलग्न नहीं होने के कारण, उक्त कृत्य को अधिनियम

की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री अजय माथुर, लेखाकार उपस्थित हुये एवम् मय जवाब के घोषणा प्ररूप वैट-47 क्रमांक 7128050 प्रस्तुत किया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त जांच घोषणा प्ररूप प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति व आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर, आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इसे प्रस्तुत अपील के जरिये चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने पारित शास्ति आदेश का समर्थन कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा प्ररूप वैट-47 अपीलार्थी के समक्ष, जो प्रस्तुत किया गया है, वह बाद की सोची गयी युक्ति है क्योंकि प्रारंभ में दस्तावेज चाहने पर माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। अग्रिम तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित विधि का सहारा लिया जाना न्यायसम्मत नहीं है। जैसाकि माल के परिवहन के वक्त माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-47 संलग्न नहीं था, न ही इसके होने के संबंध में वाहन चालक ने अपने बयानों में कोई कथन ही किया था, न ही इसे प्रस्तुत करने में कोई “भूल” हुयी थी। तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत एवम् उचित होना प्रकट कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, पारित अपीलीय आदेश को अपास्त करने की

प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि जांच के समय हालांकि घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत नहीं किया था, परन्तु उक्त भूलवश था। तत्पश्चात्, पेश कर दिया गया था। अतः प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्ररूप वैट-47 को अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाना विधिअनुकूल नहीं है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी. सी. 611 मै0 डी.पी.मेटल्स, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ., अजमेर बनाम् मैसर्स आनन्दश्वेर टैक्सटाइल्स प्रा.लि., अजमेर 20 टैक्स अपडेट 66 व 28 टैक्स अपडेट 321 को प्रोद्धरित किया गया। अतः ऐसी स्थिति में, आरोपित शास्ति विधिक है। उक्त विधिक व तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि वक्त जांच अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत नहीं किया गया था, न ही प्रारंभ में माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा जांच के समय इसे “भूलवश” माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न नहीं करना ही प्रकट किया गया था। जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने मैसर्स डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 के मामले में विधि प्रतिपादित की गयी है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में “भूलवश” घोषणा प्ररूप वैट-47 की अप्रस्तुति, शास्ति से बचने के लिये, बाद में सोची हुयी युक्ति है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने निर्णय आशियाना इस्पात लि�0 (2010) 01 आर.जी.एस.टी.आर.—डी-014 (एस.सी.)के प्रकरण में भी जांच के समय वैद्य घोषणा प्ररूप नहीं होने को मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 के निर्णयानुसार विधिक प्रावधानों की पालना नहीं होना अवधारित कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील खारिज की है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान न्यायालय की एकलपीठ ने स.वा.क.अ., जयपुर बनाम् पी.एल.मोटर्स लि., जयपुर के प्रकरण WLC(Raj.)2011(1)371 में पैरा-14 में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की गयी है: "...Apart from above, it is also relevant to mention that admittedly Declaration Form ST 18-A was not accompanied

with the goods when the truck in dispute was checked. Hon'ble Apex Court in Guljag Industries Vs Commercial Taxes Officer, reported in (2007) 7 SCC 269 has already held that provisions of Section 78(2) of the Act 1994 are mandatory in nature. Since declaration Form ST 18-A was required to be accompanied with the goods at the time of checking and it was not there in the present case, therefore, provisions of Section 78(2) were violated and penalty was liable to be imposed under section 78(5) of the Act of 1994." अतः उक्त प्रतिपादित विधिक स्थिति के प्रकाश में, यह अवधारित किया जाता है कि माल संचलन के दौरान, माल संबंधी दस्तावेजों में वैद्य घोषणा प्ररूप का नहीं होना, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों की अवहेलना है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, कर चोरी के आशय को प्रमाणित करना भी आवश्यक नहीं माना गया है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि को सम्मान व्यक्त कर, नियम 53 के विधिक प्रावधानों की अवहेलना होने व इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों 18 टैक्स अपडेट 321 व (2010) 01 आर.जी.एस.टी.आर.-डी-014 (एस.सी.) व WLC (Raj.) 2011 (1) 371 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश शास्ति के बिन्दु पर विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण उक्त को अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


10.2.2014
(मदन लाल)
सदस्य